रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 65] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 15, 2014/माघ 26, 1935
No. 65] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 15, 2014/MAGHA 26, 1935

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2014

सा.का.नि. 88 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) की धारा 18 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल समूह 'ख', 'ग' और 'घ' (सामान्य ड्यूटी/तकनीकी/ट्रेड्समैन केडर) (अराजपत्रित) (पुरूष/महिला) और समूह 'घ' (भर्ती अनुचरों) (पुरूष/महिला) भर्ती नियम 2001, जहां तक वह समूह 'ख' पदों से संबंधित है, को उन बातों के सिवाय, अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, समूह 'ख' पदों की भर्ती को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् –

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** :– (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, समूह 'ख' पद (सामान्य ड्यूटी, तकनीकी और ट्रेड्समैन केडर) भर्ती नियम 2014 है।

(2) ये, इनके राजपत्र में प्रकाशन होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :–इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :–

(क) ''महानिदेशक'' से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिदेशक अभिप्रेत है;

(ख) ''सक्षम प्राधिकारी'' से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम 1949 और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम 1955 में निर्दिष्ट नियुक्ति प्राधिकारी या प्राधिकारी अभिप्रेत है।

(ग) ''शेप–एक'' से निम्नानुसार परिभाषित चिकित्सा श्रेणी अभिप्रेत है :–

(i) अधिकारी की चिकित्सा उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के पश्चात् चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा वर्गीकरण कोड अक्षरों में इंगित किया जाएगा, जो निम्नलिखित प्रकार्य को सूचित करेगा :–

एस	–	मनोवैज्ञानिक
एच	–	श्रवणशक्ति
ए	–	उपांग (अपेण्डेज)
पी	–	शारीरिक सामर्थ्य
ई	–	दृष्टिशक्ति

(ii) प्रत्येक घटक के अंतर्गत अधिकारी के प्रकार्यात्मक सामर्थ्य का उल्लेख कोड अक्षर के समक्ष 1 से 5 तक के अंक निर्दिष्ट करते हुए किया जाएगा जिसमें घटती प्रकार्यात्मक विषमता का उल्लेख किया जाएगा और अंक कोड अक्षर के आगे लिखे जाएंगे, सिवाय इसके जहां पर अधिकारी सभी घटकों में ग्रेड–1 है। उसका श्रेणीकरण S1H1A1P1E1 के बजाय **शेप–1** लिखकर निर्दिष्ट किया जाएगा और इन अंकों का सामान्य मूल्यांकन निम्नानुसार दर्शाया जाता है:–

1. कहीं पर भी सभी ड्यूटियों के उपयुक्त है।
2. सभी ड्यूटियों के लिए उपयुक्त है पर विभिन्न ड्यूटियों और नियोजित क्षेत्र में परिसीमाएं हो सकती हैं जहां पर अत्याधिक तनाव, सुनने में या दोनों ऑखों की दृष्टि में तीक्ष्णता हो।
3. ''एस'' घटक के अलावा सामान्य या संतुलित ड्यूटी के उपयुक्त है परन्तु पर्वतीय ऊंचाई वाले क्षेत्रों (2700 मीटर से अधिक) अत्याधिक शीत इलाकों या पहाड़ी भू–भाग में और लम्बे समय तक ड्यूटियों के लिए नियुक्त करने में पाबंदी है।
4. सिक लीव में अस्पताल में भर्ती होने के कारण ड्यूटी के लिए अस्थाई रूप से अनुपयुक्त है।
5. ड्यूटी के लिए स्थाई रूप से अनुपयुक्त है।

(घ) इसमें प्रस्तुत शब्द एवं अभिव्यक्तियां, परन्तु जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, का वही अर्थ होगा जो केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम 1949 और के.रि.पु.बल नियम 1955 में निर्धारित किया गया है।

3. विनियोग :– ये नियम उन पदों पर लागू होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान :– पद की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो कि इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं, आदि :– उक्त पद से संबंधित भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं और संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो कि उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

6. पदोन्नति पूर्व पाठ्यक्रम :– पोषक रैंक में प्रत्येक कार्मिक को उसकी वरिष्ठता के क्रम में उच्चतर रैंक में पदोन्नति हेतु पात्रता सेवा अवधि पूरी करने से पहले अर्हक पाठ्यक्रम करना होगा और, किसी भी पदोन्नति से पहले, पदोन्नति पूर्व और पदोन्नति पाठ्यक्रमों को पास करना अपेक्षित होगा :

परन्तु यह कि यदि महानिदेशक का यह समाधान हो जाता हैं कि यदि कोई सदस्य सेवा की आवश्यकताओं अथवा अन्य अपरिहार्य कारणों से अपेक्षित पदोन्नति पूर्व पाठ्यक्रमों को करने में समर्थ नहीं है, तो वह बल के ऐसे सदस्य को पदोन्नत कर सकता है, परन्तु यह कि वह पदोन्नति की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर पदोन्नति पूर्व पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण करेगा, जिसमें असफल रहने पर उसे पूर्व रैंक एवं प्रास्थिति पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

7. वरिष्ठता :– पदों हेतु नियुक्त अधिकारियों की परस्पर वरिष्ठता को केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर जारी सामान्य आदेशों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

8. निरर्हता : वह व्यक्ति :

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, से विवाह किया है, या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह कि यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे विवाह से ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

9. **गैर भारतीय नागरिकों की निरर्हता** :– किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो भारत का नागरिक नहीं है, इन नियमों के अधीन केन्द्रीय सरकार की पूर्व लिखित अनुमति के नियुक्त या नियोजित नहीं किया जाएगा :

तथापि इन नियमों में विहित कोई भी बात नेपाल या भूटान के नागरिकों को बल में नियुक्ति या नियोजित करने से वर्जित नहीं कर सकेगी।

10. **अधिवर्षिता** :– (1) इन नियमों के अधीन नियुक्त व्यक्ति जिस मास में 57 वर्ष की आयु पूरी करता है उस महीने के अंतिम दिन के अपराह्न से सेवानिवृत होगा :

तथापि जिस व्यक्ति की जन्मतिथि महीने की पहली तारीख को है वह सेवानिवृत्ति की आयु पूरी करने के पूर्ववर्ती महीने के अंतिम दिन के अपराह्न से सेवानिवृत होगा।

(2) किसी भी व्यक्ति को सेवानिवृति की आयु के पश्चात् सेवा में विस्तार नहीं दिया जाएगा।

11. **शिथिल करने की शक्ति :–** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी भी उपाबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

12. **व्यावृत्ति** :– इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सामान्य ड्यूटी संवर्ग (1) उप निरीक्षक (सामान्य ड्यूटी)	7792* (2013) (पुरूष– 7624 एवं महिला 168) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' (अराजपत्रित अननुसचिवीय योद्धक)	वेतन बैंड–2 (रु. 9300– 34800) + ग्रेड वेतन रु. 4200	चयन पद	20 से 25 वर्ष (सरकारी कर्मचारी के लिए पांच वर्ष तक की छूट, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों एवं आदेशों के अनुसार ऊपरी आयु–सीमा में छूट होगी।) नोटः– प्रत्येक मामले में आयु–सीमा तय करने के लिए निर्णायक तिथि वह होगी जिसका विज्ञापन में उल्लेख किया गया है।

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हतांए	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नही	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति :** सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समतुल्य और भूतपूर्व सैनिक कार्मिकों के मामले में सेना की समतुल्य अर्हता । (ii) **शारीरिक मानदण्ड :** पुरूष महिला कद 170 सेमी. 157 सेमी. सीना 80 सेमी. लागू नहीं वजन कद एवं आयु के अनुसार (iii) **चकित्सा मानदण्ड** : (i) दृष्टि – न्यूनतम निकट की दृष्टि एन.6 (अच्छी दृष्टि) एवं एन.9 (बाधित दृष्टि) होनी चाहिए। न्यूनतम दूर की दृष्टि 6/6 (अच्छी दृष्टि) 6/9 (बाधित दृष्टि) होनी चाहिए। दाएं हाथ का प्रयोग करने वाले व्यक्ति की दायीं दृष्टि और बाएं हाथ का प्रयोग करने वाले व्यक्ति की बायीं दृष्टि अच्छी है। मानक बिना किसी दृश्य सुधार यहां तक की बिना चश्मे के होने चाहिए। (ii) उम्मीदवारों के घुटने आपस में टकराने नहीं चाहिए, उनके पांव सपाट, स्फीत शिरा अथवा आंखों में भेंगापन नहीं होना चाहिए। उनकी मानसिक दशा और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जो उनकी ड्यूटी के कुशल निष्पादन में बाधक बने। (iii) एन.सी.सी. बी. अथवा सी. प्रमाणपत्र अथवा उत्कृष्ट खेल/एथलेटिक्स प्रमाण पत्र वांछनीय होंगे।	लागू नही	02 वर्ष	(i) खेल कोटे के उम्मीदवारों की विद्यमान रिक्ति के 5% सहित 33% कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा (ii) 50% पदोन्नति द्वारा (iii) 17% सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा जिसके न होने पर पदोन्नति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्त/आमेलन दिया जाएगा	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा :– ग्रेड में छह वर्ष की नियमित सेवा रखने वाले सहायक उप निरीक्षक, जिसके न होने पर सहायक उप निरीक्षक (सामान्य ड्यूटी) की उस रैंक में एक वर्ष की नियमित सेवा और सिपाही, हवलदार (सामान्य ड्यूटी) और सहायक उप निरीक्षक (सामान्य ड्यूटी) में 16 वर्षों की संयुक्त सेवा, जिसमें हवलदार (सामान्य ड्यूटी) अथवा सहायक उप निरीक्षक (सामान्य ड्यूटी) के रूप में 02 वर्षों की सेवा फील्ड यूनिट में होनी चाहिए और जिन्होंने :– (i) प्रोन्नति पूर्व अथवा प्रोन्नति पाठ्यक्रम अथवा महानिदेशक द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हैं। (ii) चिकित्सा श्रेणी शेप–1 है : और (iii) सेवा रिकॉर्ड अच्छा है। **टिप्पणी 1** : जहां ऐसे कनिष्ठों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, को प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ग्रेड मे ज्येष्ठों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह कि उनके द्वारा की गई एसे अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित, अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से या दो वर्ष से अधिक, इनमें से जो भी कम हो, उससे कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली हैं, अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पणी 2** : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी 2006 से पहले या उस तारीख से जिसके छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्संबंधी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। **सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा :–** (1) ऐसे सिपाही (सामान्य ड्यूटी), हवलदार (सामान्य ड्यूटी) और स.उ.नि. (सामान्य ड्यूटी) जिन्होंने प्रशिक्षण अवधि सहित उस ग्रेड में 04 वर्षों की नियमित सेवा पूरी कर ली हो, वे सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा पदोन्नति के पात्र होंगे और ट्रेड्समैन (बगलर), ट्रेड्समैन (पेंटर) और ट्रेड्समैन (माली) जो उक्त परीक्षा हेतु सभी अपेक्षित अर्हताएं रखते हैं, वे भी उ.नि. (साधारण ड्यूटी) सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्र होंगे। (2) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा में प्रवेश हेतु ऊपरी आयु सीमा 32 वर्ष होगी। (3) परीक्षा हेतु अपेक्षित शैक्षिक योग्यता किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होगी। (4) सेवा रिकार्ड अच्छा होना चाहिए।	**विभागीय पदोन्नति समिति पुष्टि एवं पदोन्नति पर विचार करने हेतु) में निम्नलिखित शामिल होंगे :–** (i) पुलिस उप महानिरीक्षक – अध्यक्ष (ii) कमान्डेंट – सदस्य (iii) द्वितीय कमान अधिकारी अथवा उप कमान्डेंट – सदस्य (iv) सहा.कमान्डेंट – सदस्य	लागू नही ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(2) निरीक्षक (सामान्य ड्यूटी)	3109* (2013) (पुरूष–3042 एवं महिला 67) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' (अराजपत्रित अननुसचिवीय योद्धक)	वेतन बैड–2 (रुप 9300– 34800) + ग्रेड वेतन रु. 4600	चयन पद	20 से 25 वर्ष (सरकारी कर्मचारी, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों एवं आदेशों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट होगी। **नोटः–** प्रत्येक मामले में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख विज्ञापन में आवेदन करने के लिए वर्णित अंतिम तारीख होगी ।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	02 वर्ष और खेलकूद कोटा के अर्न्तगत नियुक्त निरीक्षकों के लिए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार आगे बढ़ायी जा सकती है।	(I) 95 % पदोन्नति द्वारा (II) 5% खेलकूद कोटे के अर्न्तगत सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर पदोन्नति द्वारा।

(11)	(12)	(13)
पदोन्नति द्वारा : उस ग्रेड में उप निरीक्षक (सामान्य ड्यूटी) की 05 वर्षों की नियमित सेवा, जिसके न होने पर उप निरीक्षक (सामान्य ड्यूटी) की उस रैंक में 03 वर्षों की नियमित सेवा और सिपाही, हवलदार (सामान्य ड्यूटी), सहायक उप निरीक्षक (सामान्य ड्यूटी) के रैंक में 21 वर्षों की संयुक्त सेवा, जिसमें उप निरीक्षक (ड्यूटी) अथवा फील्ड यूनिट में प्लाटून कमाण्डर के रूप में 02 वर्षों की सेवा होनी चाहिए और जिन्होंने :– (i) पदोन्नति पूर्व अथवा पदोन्नति पाठ्यक्रम अथवा महानिदेशक द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पास किया है। (ii) चिकित्सा श्रेणी शेप–1 है : और (iii) सेवा रिकॉर्ड अच्छा है। **टिप्पणी 1** : जहां ऐसे कनिष्ठों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, को प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ग्रेड मे ज्येष्ठों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह कि उनके द्वारा की गई एसे अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित, अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से या दो वर्ष से अधिक, इनमें से जो भी कम हो, उससे कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली हैं, अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पणी 2** : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 01	**विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने हेतु) में निम्नलिखित शामिल होंगे :–** (i) पुलिस महानिरीक्षक – अध्यक्ष (ii) पुलिस उप महानिरीक्षक – सदस्य (iii) कमान्डेंट – सदस्य (iv) उप कमान्डेंट – सदस्य	लागू नहीं ।

जनवरी 2006 से पहले या उस तारीख से जिसके छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्संबंधी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
तकनीकी संवर्ग (3) उप निरीक्षक (आर्मोरर)	92* (2013) (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' (अराजपत्रित अननुसचिवीय योद्धक)	वेतन बैंड–2 (रु. 9300– 34800) + ग्रेड वेतन रु. 4200	चयन पद	लागू नहीं

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	पदोन्नति द्वारा

(11)	(12)	(13)
पदोन्नति द्वारा :– हवलदार (आर्मोरर) जिन्होंने उस ग्रेड में 10 वर्षों की नियमित सेवा की है, जिसके न होने पर हवलदार (आर्मोरर) के ग्रेड में 05 वर्षों की नियमित सेवा और सिपाही (आर्मोरर) और हवलदार (आर्मोरर), के रैंक में 15 वर्षों की संयुक्त सेवा होनी चाहिए और जिन्होंने :– (i) पूर्व पदोन्नति अथवा पदोन्नति पाठ्यक्रम अथवा महानिदेशक द्वारा निर्धारित ट्रेड टेस्ट पास किया है। (ii) चिकित्सा श्रेणी शेप–1 है : और (iii) सेवा रिकॉर्ड अच्छा है। **टिप्पणी 1** : जहां ऐसे कनिष्ठों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, को प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ग्रेड मे ज्येष्ठों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह कि उनके द्वारा की गई एसे अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित, अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से या दो वर्ष से अधिक, इनमें से जो भी कम हो, उससे कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली हैं, अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पणी 2** : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी 2006 से पहले या उस तारीख से जिसके छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्संबंधी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।	**विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने हेतु) में निम्नलिखित शामिल होंगे :–** (i) पुलिस उप महानिरीक्षक – अध्यक्ष (ii) कमान्डेंट – सदस्य (iii) द्वितीय कमान अधिकारी अथवा उप कमान्डेंट – सदस्य (iv) सहा0 कमान्डेंट – सदस्य (v) संबंधित ट्रेड के बारे में पर्याप्त ज्ञान रखने वाला एक – सदस्य	लागू नही

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(4) उप निरीक्षक (मोटर मैकेनिक)	259* (2013) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' (अराजपत्रित अननुसचिवीय) योद्धक	वेतन बैण्ड–2 (रु. 9300–34800) एवं ग्रेड वेतन रु. 4200	चयन पद	लागू नहीं

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	पदोन्नति द्वारा

(11)	(12)	(13)
पदोन्नति द्वारा :– हवलदार (फिटर) के पद पर दस वर्ष की नियमित सेवा जिसके न हो सकने पर हवलदार (फिटर) के ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा एवं सिपाही (फिटर) एवं हवलदार (फिटर) के पद पर 15 वर्ष की संयुक्त सेवा पूर्ण की हो और जिन्होंने :– (i) महानिदेशक द्वारा निर्धारित पदोन्नति पूर्व या पदोन्नति पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो (ii) चिकित्सा श्रेणी शेप–1 है और (iii) सेवा का रिकार्ड अच्छा हो **टिप्पणी 1 :** जहां ऐसे कनिष्ठों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, को प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ग्रेड मे ज्येष्ठों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह कि उनके द्वारा की गई एसे अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित, अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से या दो वर्ष से अधिक, इनमें से जो भी कम हो, उससे कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली हैं, अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पणी 2 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी 2006 से पहले या उस तारीख से जिसके छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्संबंधी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।	**विभागीय पदोन्नति (पदोन्नति हेतु विचार करने के लिए) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :–** (i) पुलिस उप महानिरीक्षक – अध्यक्ष (ii) कमान्डेंट – सदस्य (iii) द्वितीय कमान अधिकारी अथवा उप कमान्डेंट – सदस्य (iv) सहायक कमान्डेंट – सदस्य (v) एक सदस्य जिसे सुसंगत ट्रेड का पर्याप्त ज्ञान हो	लागू नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(5) उप निरीक्षक (मोटर परिवहन)	232* (2013) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख'(अराजपत्रित अननुसचिवीय) योद्धक	वेतन बैण्ड–2 (रु. 9300–34800) एवं ग्रेड वेतन रु. 4200	चयन पद	लागू नहीं

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	पदोन्नति द्वारा

(11)	(12)	(13)
<u>पदोन्नति द्वारा :–</u> हवलदार (चालक) के पद पर दस वर्ष की नियमित सेवा जिसके न हो सकने पर हवलदार (चालक) के ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा एवं सिपाही (चालक) एवं हवलदार (चालक) के पद पर 15 वर्ष की संयुक्त सेवा पूर्ण की हो और जिन्होंने :– (i) महानिदेशक द्वारा निर्धारित पदोन्नति पूर्व या पदोन्नति पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो (ii) चिकित्सा श्रेणी शेप–1 है और (iii) सेवा का रिकार्ड अच्छा हो **टिप्पणी 1 :** जहां ऐसे कनिष्ठों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, को प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ग्रेड में ज्येष्ठों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह कि उनके द्वारा की गई एसे अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित, अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से या दो वर्ष से अधिक, इनमें से जो भी कम हो, उससे कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली हैं, अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पणी 2 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी 2006 से पहले या उस तारीख से जिसके छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्संबंधी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।	विभागीय पदोन्नति (पदोन्नति हेतु विचार करने के लिए) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :– (i) पुलिस उप महानिरीक्षक – अध्यक्ष (ii) कमान्डेंट – सदस्य (iii) द्वितीय कमान अधिकारी या उप कमान्डेंट – सदस्य (iv) सहायक कमान्डेंट – सदस्य (v) एक सदस्य जिसे सुसंगत ट्रेड का पर्याप्त ज्ञान हो	लागू नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(6) निरीक्षक (आरमोरर)	24* (2013) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख'(अराजपत्रित अननुसचिवीय) योद्धक	वेतन बैण्ड–2 (रू0 9300–34800) एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/–	चयन पद	लागू नहीं

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	पदोन्नति द्वारा

(11)	(12)	(13)
पदोन्नति द्वारा :– उप निरीक्षक (आरमोरर) के पद पर 05 वर्ष की नियमित सेवा जिसके न हो सकने पर उप निरीक्षक (आरमोरर) के ग्रेड में 3 वर्ष की नियमित सेवा एवं सिपाही (आरमोरर) व हवलदार (आरमोरर) एवं उप निरीक्षक (आरमोरर)के पद पर 20 वर्ष की संयुक्त सेवा पूर्ण की हो और जिन्होंने :– (i) महानिदेशक द्वारा निर्धारित पदोन्नति पूर्व या पदोन्नति पाठ्यक्रम या ट्रेड टेस्ट या अन्य कोई पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो (ii) चिकित्सा श्रेणी शेप–1 है और (iii) सेवा का रिकार्ड अच्छा हो **टिप्पणी 1** : जहां ऐसे कनिष्ठों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, को प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ग्रेड में ज्येष्ठों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह कि उनके द्वारा की गई ऐसे अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित, अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से या दो वर्ष से अधिक, इनमें से जो भी कम हो, उससे कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली हैं, अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पणी 2** : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिसके छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्संबंधी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।	विभागीय पदोन्नति (पदोन्नति हेतु विचार करने के लिए) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :– (i) पुलिस महानिरीक्षक – अध्यक्ष (ii) पुलिस उप महानिरीक्षक – सदस्य (iii) कमान्डेंट – सदस्य (iv) उप कमान्डेंट – सदस्य (v) एक सदस्य जिसे सुसंगत ट्रेड का पर्याप्त ज्ञान हो	लागू नहीं ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(7) निरीक्षक (मोटर परिवहन)	44* (2013) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख'(अराजपत्रित, अननुसचिवीय) योद्धक	वेतन बैण्ड–2 (रू0 9300–34800) एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/–	चयन पद	लागू नहीं

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	पदोन्नति द्वारा

(11)	(12)	(13)
पदोन्नति द्वारा :– उप निरीक्षक (मोटर परिवहन या मोटर मैकेनिक) के पद पर 05 वर्ष की नियमित सेवा जिसके न हो सकने पर उप निरीक्षक (मोटर परिवहन/मोटर मैकेनिक) के ग्रेड में 3 वर्ष की नियमित सेवा एवं सिपाही (फिटर/चालक) एवं हवलदार (फिटर/चालक) एवं उप निरीक्षक (मोटर मैकेनिक या मोटर परिवहन) के पद पर 20 वर्ष की संयुक्त सेवा पूर्ण की हो और जिन्होंने :– (i) महानिदेशक द्वारा निर्धारित पदोन्नति पूर्व या पदोन्नति पाठ्यक्रम या ट्रेड टेस्ट या अन्य कोई पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो (ii) चिकित्सा श्रेणी शेप–1 है और	विभागीय पदोन्नति (पदोन्नति हेतु विचार करने के लिए) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :– (i) पुलिस महानिरीक्षक – अध्यक्ष (ii) पुलिस उप महानिरीक्षक – सदस्य (iii) कमान्डेंट – सदस्य (iv) उप कमान्डेंट – सदस्य (v) एक सदस्य जिसे सुसंगत ट्रेड का	लागू नही।

(iii) सेवा का रिकार्ड अच्छा हो **टिप्पणी 1** : जहां ऐसे कनिष्ठों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, को प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ग्रेड मे ज्येष्ठों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह कि उनके द्वारा की गई एसे अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित, अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से या दो वर्ष से अधिक, इनमें से जो भी कम हो, उससे कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली हैं, अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पणी 2** : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी 2006 से पहले या उस तारीख से जिसके छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्संबंधी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।	पर्याप्त ज्ञान हो	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ट्रेडमैन कॉडर (8) उप निरीक्षक (दर्जी)	38* (2013) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख'(अराजपत्रित अननुसचिवीय) योद्धक	वेतन बैण्ड–2 (रू0 9300–34800) एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/–	चयन पद	लागू नहीं

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	पदोन्नति द्वारा

(11)	(12)	(13)
<u>पदोन्नति द्वारा</u> :– उप निरीक्षक (दर्जी) के पद पर 10 वर्ष की नियमित सेवा जिसके न हो सकने पर हवलदार (दर्जी) के ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा एवं सिपाही (दर्जी) एवं हवलदार (दर्जी) के पद पर 15 वर्ष की संयुक्त सेवा पूर्ण की हो और जिन्होंने :– (i) महानिदेशक द्वारा निर्धारित पदोन्नति पूर्व या पदोन्नति पाठ्यक्रम या ट्रेड टेस्ट उत्तीर्ण किया हो (ii) चिकित्सा श्रेणी शेप–1 है और (iii) सेवा का रिकार्ड अच्छा हो **टिप्पणी 1** : जहां ऐसे कनिष्ठों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, को प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ग्रेड मे ज्येष्ठों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह कि उनके द्वारा की गई एसे अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित, अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से या दो वर्ष से अधिक, इनमें से जो भी कम हो, उससे कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली हैं, अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पणी 2** : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी 2006 से पहले या उस तारीख से जिसके छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्संबंधी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।	विभागीय पदोन्नति (पदोन्नति हेतु विचार करने के लिए) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :– (i) पुलिस उप महानिरीक्षक – अध्यक्ष (ii) कमाण्डेण्ट – सदस्य (iii) द्वितीय कमान अधिकारी या उप कमान्डेंट – सदस्य (iv) सहायक कमान्डेंट – सदस्य (v) एक सदस्य जिसे सुसंगत ट्रेड का पर्याप्त ज्ञान हो	लागू नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(9) उप निरीक्षक (ब्रास बैण्ड)	18* (2013) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख'(अराजपत्रित, अननुसचिवीय) योद्धक	वेतन बैण्ड–2 (रु. 9300–34800) एवं ग्रेड वेतन रु. 4200	चयन पद	लागू नहीं

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	पदोन्नति द्वारा

(11)	(12)	(13)
पदोन्नति द्वारा :– हवलदार (ब्रास बैण्ड) के पद पर 10 वर्ष की नियमित सेवा जिसके न हो सकने पर हवलदार (ब्रास बैण्ड) के ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा एवं सिपाही (ब्रास बैण्ड) एवं हवलदार (ब्रास बैण्ड) के पद पर 15 वर्ष की संयुक्त सेवा पूर्ण की हो और जिन्होंने :– (i) महानिदेशक द्वारा निर्धारित पूर्व पदोन्नति या पदोन्नति पाठ्यक्रम या ट्रेड टेस्ट उत्तीर्ण किया हो (ii) चिकित्सा श्रेणी शेप–1 है और (iii) सेवा का रिकार्ड अच्छा हो **टिप्पणी 1 :** जहां ऐसे कनिष्ठों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, को प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ग्रेड मे ज्येष्ठों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह कि उनके द्वारा की गई एसे अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित, अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से या दो वर्ष से अधिक, इनमें से जो भी कम हो, उससे कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली हैं, अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पणी 2 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी 2006 से पहले या उस तारीख से जिसके छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्संबंधी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।	विभागीय पदोन्नति (पदोन्नति हेतु विचार करने के लिए) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :– (i) पुलिस उप महानिरीक्षक – अध्यक्ष (ii) कमाण्डेण्ट – सदस्य (iii) द्वितीय कमान अधिकारी या उप कमान्डेंट – सदस्य (iv) सहायक कमान्डेंट – सदस्य (v) एक सदस्य जिसे सुसंगत ट्रेड का पर्याप्त ज्ञान हो	लागू नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(10) उप निरीक्षक (पाइप बैण्ड)	12* (2013) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख'(अराजपत्रित, अननुसचिवीय) योद्धक	वेतन बैण्ड–2 (रू0 9300–34800) एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/–	चयन पद	लागू नहीं

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	पदोन्नति द्वारा

(11)	(12)	(13)
पदोन्नति द्वारा :– हवलदार (पाइप बैण्ड) के पद पर 10 वर्ष की नियमित सेवा जिसके न हो सकने पर हवलदार (पाइप बैण्ड) के ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा एवं सिपाही (पाइप बैण्ड) एवं हवलदार (पाइप बैण्ड) के पद पर 15 वर्ष की संयुक्त सेवा पूर्ण की हो और जिन्होंने :– (i) महानिदेशक द्वारा निर्धारित पूर्व पदोन्नति या पदोन्नति पाठ्यक्रम या ट्रेड टेस्ट उत्तीर्ण किया हो (ii) चिकित्सा श्रेणी शेप–1 है और (iii) सेवा का रिकार्ड अच्छा हो **टिप्पणी 1 :** जहां ऐसे कनिष्ठों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, को प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ग्रेड मे ज्येष्ठों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह कि उनके द्वारा की गई एसे अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित, अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से या दो वर्ष से अधिक, इनमें से जो भी कम हो, उससे कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली हैं, अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पणी 2 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी 2006 से पहले या उस तारीख से जिसके छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्संबंधी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।	विभागीय पदोन्नति (पदोन्नति हेतु विचार करने के लिए) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :– (i) पुलिस उप महानिरीक्षक – अध्यक्ष (ii) कमाण्डेण्ट – सदस्य (iii) द्वितीय कमान अधिकारी या उप कमान्डेंट – सदस्य (iv) सहायक कमान्डेंट – सदस्य (v) एक सदस्य जिसे सुसंगत ट्रेड का पर्याप्त ज्ञान हो	लागू नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(11) निरीक्षक (बैण्ड)	18* (2013) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख'(अराजपत्रित, अननुसचिवीय) योद्धक	वेतन बैण्ड–2 (रू0 9300–34800) एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/–	चयन पद	लागू नहीं

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	पदोन्नति द्वारा

(11)	(12)	(13)
<u>पदोन्नति द्वारा :–</u> उप निरीक्षक (बैण्ड) के पद पर 05 वर्ष की नियमित सेवा जिसके न हो सकने पर उप निरीक्षक (बैण्ड) के ग्रेड में 3 वर्ष की नियमित सेवा एवं सिपाही व हवलदार एवं उप निरीक्षक (बैण्ड) के पद पर 20 वर्ष की संयुक्त सेवा पूर्ण की हो और जिन्होंने :– (i) महानिदेशक द्वारा निर्धारित पूर्व पदोन्नति या पदोन्नति पाठ्यक्रम या ट्रेड टेस्ट उत्तीर्ण किया हो (ii) चिकित्सा श्रेणी शेप–1 है और (iii) सेवा का रिकार्ड अच्छा हो **टिप्पणी 1** : जहां ऐसे कनिष्ठों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, को प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ग्रेड मे ज्येष्ठों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह कि उनके द्वारा की गई एसे अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित, अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से या दो वर्ष से अधिक, इनमें से जो भी कम हो, उससे कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली हैं, अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पणी 2** : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी 2006 से पहले या उस तारीख से जिसके छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्संबंधी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।	विभागीय पदोन्नति (पदोन्नति हेतु विचार करने के लिए) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :– (i) पुलिस महानिरीक्षक – अध्यक्ष (ii) पुलिस उप महानिरीक्षक – सदस्य (iii) कमान्डेंट – सदस्य (iv) उप कमान्डेंट – सदस्य (v) एक सदस्य जिसे सुसंगत ट्रेड का पर्याप्त ज्ञान हो	लागू नहीं।

[फा. संख्या : एम. पॉच –1/2011–/पी. सैल/स्था./केरिपुबल]

षान्तनु, निदेषक (कार्मिक)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th February, 2014

G.S.R. 88 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 18 of the Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949) and in supersession of the Central Reserve Police Force Group 'B', 'C', and 'D' (General Duty/Tech/Tradesmen Cadre) (Non-Gazetted) (male/female) and Group 'D' (Enrolled Followers) (Male/Female) Recruitment Rules, 2001, in so far as it relates to the Group 'B' posts, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'B' posts in the Central Reserve Police Force, namely:-

1. **Short title and commencement.--** (1) These rules may be called the Central Reserve Police Force, Group 'B' posts (General Duty, Technical and Tradesmen Cadre) Recruitment Rules, 2014.

 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions. --** In these rules, unless the context otherwise requires,--
 (a) "Director General" means the Director General, Central Reserve Police Force;

(b) "competent authority" means the appointing authority or the authority referred to in the Central Reserve Police Force Act, 1949 and the Central Reserve Police Force Rules, 1955;

(c) "SHAPE-I" means the Medical Category defined as under :-

(i) Medical classification done by Medical Officer after assessing fitness of the officer under the given factors indicated by the code letters SHAPE, which represent the following function:-

S - Psychological

H - Hearing

A - Appendages

P - Physical Capacity

E - Eye-Sight

(ii) Functional capacity of an officer under each factor will be denoted by numeral 1 to 5 against each code letter, indicating declining functional efficiency and the numerals will be written next to the code letter, except that where an officer is in Grade-I in all factors, his category may be denoted by writing SHAPE-I instead of writing S1H1A1P1E1 and the general evaluation of these numerals is as under:-

1. Fit for all duties anywhere.

2. Fit for all duties but may have limitations as to type of duties and areas of employability depending on whether the duties involve severe stress or demand acuity of hearing or vision of both ears and eyes.

3. Excepting "S" factor, fit for routine or sedentary duties but may have limitations of employability at high altitude(above 2,700 meters) extreme cold areas of hilly terrain and for long assignments.

4. Temporarily unfit for duties on account of hospitalisation of sick leave.

5. Permanent unfit for duties.

(d) the words and expressions used herein but not defined, shall have the same meanings as assigned to them in the Central Reserve Police Force Act, 1949 and the Central Reserve Police Force Rules, 1955.

3. Application. - These rules shall apply to the posts specified in column(1) of the Schedule annexed to these rules.

4. Number of posts, classification and pay band and grade pay or pay scale.- The number of posts, their classifications and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.

5. Method of recruitment, age limit, qualification, etc. -- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

6. Pre-promotional courses. – Every person in the feeder rank shall undergo qualifying courses before completing the service eligibility period for promotion to higher rank in the order of their seniority and shall, before any promotion, be required to pass pre-promotional and promotional courses:

Provided that if the Director General is satisfied that due to exigencies of service or other unavoidable reasons, any such member is not able to undergo the required pre-promotional courses, he may promote such member of the Force, subject to passing pre-promotional courses

within a period of two years, from the date of promotion, failing which he shall be reverted to previous rank and status.

7. Seniority. – The inter-se seniority of officers appointed to the posts shall be determined in accordance with the general orders issued on the subject by the Central Government from time to time.

8. Disqualification. -- No person , --

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person,

shall be eligible for appointment under these rule:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

9. Ineligibility of Non-citizens of India.-- No person who is not a citizen of India shall, except with the prior permission of the Central Government in writing, be appointed or employed under these rules :

Provided that nothing contained in this rule shall debar the appointment or employment of a subject of Nepal or Bhutan in the Force.

10. Superannuation. -- (1) The person appointed under these rules shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he or she attains the age of fifty-seven years:

Provided that the person whose date of birth is the first day of a month shall stand retired from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of superannuation.

(2) No person shall be granted extension in service beyond the age of retirement on superannuation.

11. Power to relax. -- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so; it may, by order, for reasons, to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules in respect to any class or category of persons.

12. Saving. -- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions, provided to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders, issued by the Central Government from time to time, in this regard.

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non selection post	Age limit for direct recruits
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
General Duty cadre (1) Sub-Inspector (General Duty)	7792 * (2013) (Male-7624 and Female 168) *(Subject to variations dependent on workload).	General Central Service Group 'B' (Non-Gazetted, Non-Ministerial) combatant.	Pay Band –2 (Rs. 9300-34800) and Grade Pay of Rs. 4200.	Selection post	Between 20 and 25 years (relaxable for Government servants upto five years, Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note** : The crucial date for determining the age-limit in each case shall be the cut off date as mentioned in the advertisement.

<table>
<tr><td>Educational and other qualifications required for direct recruits.</td><td>Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees.</td><td>Period of probation if any.</td><td>Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.</td></tr>
<tr><td>(7)</td><td>(8)</td><td>(9)</td><td>(10)</td></tr>
<tr><td>(i) Graduation from recognised University or equivalent and in the case of Ex-Army personnel, equivalent Army qualification is required.
(ii) Physical standard: :
<table><tr><td></td><td>Men</td><td>Women</td></tr><tr><td>Height</td><td>170 Cms</td><td>157 Cms</td></tr><tr><td>Chest</td><td>80 Cms</td><td>Not applicable</td></tr><tr><td>Weight</td><td colspan="2">According to height and age.</td></tr></table>(iii) Medical Standards :
(i) Eye Sight : The minimum near vision should be N6(better eye) and N9(worse eye). The minimum distant vision should be 6/6 (better eye) and 6/9(worse eye). In right handed person, the right eye is better eye and vice versa. The standards should be without visual correction of any kind even by glasses.
(ii) The candidate must not have knock knee, flat foot, varicose vein or squint in eyes. They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties.
(iii) Possession of NCC B or C certificate or outstanding sports /athletics certificate shall be desirable.</td><td>Not applicable</td><td>Two years</td><td>(i) Thirty-three percent by direct recruitment through Staff Selection Commission including sports persons upto the extent of five percent of existing vacancy.
(ii) Fifty percent by promotion.
(iii) Seventeen percent by Limited Departmental Competitive Examination failing which by promotion.</td></tr>
</table>

(11)	(12)	(13)
By promotion :- Assistant Sub-Inspector with six years' regular service in the grade failing which Assistant Sub-Inspector (General Duty) with one year's regular service in that rank and sixteen year's of combined service in the rank of Constable, Head Constable(General Duty) and Assistant Sub-Inspector (General Duty) with two years service as Head Constable (General Duty) or as Assistant Sub-Inspector (General Duty) in a field unit, and who (i) has passed pre-promotional or promotional course or courses prescribed by the Director General ; (ii) is in Medical category "SHAPE-1; and (iii) has good record of service. **Note 1 :** Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with the juniors who have already completed such qualifying eligibility service. **Note 2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding scale of pay and grade pay extended based on the recommendations of the commission. **By Limited Departmental Competitive Examination :-** (1) Constables(General Duty), Head Constables(General Duty) and Assistant Sub Inspector(General Duty) having completed four years regular service in the grade including training shall be eligible for promotion by Limited Departmental Competitive Examination and	The Departmental Promotion Committee (for considering confirmation and promotion) consisting of :- (i) Deputy Inspector General of Police – Chairman. (ii) Commandant – Member (iii) Second in Command or Deputy Commandant-Member (iv) Assistant Commandant.- Member	Not applicable .

Tradesmen(Bugler), Tradesmen(Painter) and Tradesmen(Mali) who posses all the qualifications required for said examination shall also be eligible to appear in Sub Inspector(General Duty) Limited Departmental Competitive Examination. (2) The upper age limit for appearing in the Limited Departmental Competitive Examination shall be thirty-two years. (3) The educational qualification required for the examination shall be graduation from a recognised university. (4) Should have good Record of Service.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(2) Inspector (General Duty)	3109 * (2013) (Male – 3042 and Female – 67) * (Subject to variation dependent on workload)	General Central Service Group 'B' (Non-Gazetted, Non-Ministerial) combatant.	Pay Band –2 (Rs. 9300-34800) and Grade Pay of Rs. 4600.	Selection post.	Between 20 and 25 years (relaxable for Government servants, Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note** : The crucial date for determining the age-limit in each case shall be the cut off date as mentioned in the advertisement.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Two years and further extendable at the discretion of competent authority for Inspectors appointed on sports quota.	(i) Ninety-five percent by promotion (ii) five percent by direct recruitment on sports quota failing which by promotion.

(11)	(12)	(13)
By promotion :- Sub-Inspector (General Duty) with five years' regular service in the grade failing which Sub-Inspector (General Duty) with three years regular service in that rank and twenty-one years of combined service in the rank of Constable, Head Constable(General Duty), Assistant Sub-Inspector(General Duty) and Sub-Inspector (General Duty) with two years service as Sub-Inspector(General Duty) or as Platoon Commander in a field unit, and who -- (i) has passed pre-promotional or promotional course or courses prescribed by the Director General; (ii) is in Medical category "SHAPE-1' ; and (iii) has good record of service. **Note 1** : Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with the juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2**: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding scale of pay and grade pay extended based on the recommendations of the commission.	**The Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-** (i) Inspector General of Police – Chairman. (ii) Deputy Inspector General of Police – Member, (iii) Commandant –Member. (iv) Deputy Commandant.	Not applicable.

	- Member	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Technical Cadre (3) Sub- Inspector (Armourer))	92* (2013) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service Group 'B' (Non-Gazetted Non-Ministerial) combatant.	Pay Band –2 (Rs. 9300-34800) and Grade Pay of Rs 4200.	Selection post.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion

(11)	(12)	(13)
By promotion : Head Constable (Armourer) with ten years regular service in the grade failing which Head Constable(Armourer) with five years regular service in the grade and fifteen years of combined service in the rank of Constable(Armourer) and Head Constable (Armourer) and who --- (i) has passed pre-promotional or promotional course or trade test as prescribed by the Director General; (ii) is in Medical category "SHAPE-1; and (iii) has good record of service. **Note 1** : Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with the juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding scale of pay and grade pay extended based on the recommendations of the commission.	**The Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-** (i) Deputy Inspector General of Police – Chairman. (ii) Commandant – Member (iii) Second in Command or Deputy Commandant- Member. (iv) Assistant Commandant- Member (v) One member having sufficient knowledge of relevant trade.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(4) Sub- Inspector (Motor Mechanic).	259* (2013) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service Group 'B' (Non-Gazetted Non-Ministerial) combatant.	Pay Band –2 (Rs. 9300-34800) and Grade Pay of Rs. 4200.	Selection post.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion.

(11)	(12)	(13)
By promotion :- Head Constable (Fitter) with ten years regular service in the grade failing which Head Constable(Fitter) with five years regular service in the grade and fifteen years of combined service in the rank of Constable(Fitter) and Head Constable (Fitter) and who -- (i) has passed pre promotional or promotional courses as prescribed by the Director General; (ii) is in Medical category "SHAPE-1; and (iii) has good record of service. **Note 1** : Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with the juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding scale of pay and grade pay extended based on the recommendations of the commission.	**The Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-** (i) Deputy Inspector General of Police – Chairman. (ii) Commandant – Member (iii) Second in Command or Deputy Commandant- Member (iv) Assistant Commandant - Member (v) One member having sufficient knowledge of relevant trade.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(5) Sub- Inspector (Motor Transport).	232* (2013) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service Group 'B' (Non-Gazetted Non-Ministerial) combatant.	Pay Band –2 (Rs. 9300-34800) and Grade Pay of Rs. 4200.	Selection post.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion.

(11)	(12)	(13)
By promotion:- Head Constable (Driver) with ten years regular service in the grade failing which Head Constable(Driver) with five years regular service in the grade and fifteen years of combined service in the rank of Constable(Driver) and Head Constable (Driver) and who --- (i) has passed pre promotional or promotional courses as prescribed by the Director General; (ii) is in Medical category "SHAPE-1; and (iii) has good record of service. **Note 1**: Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully	**The Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-** (i) Deputy Inspector General of Police – Chairman. (ii) Commandant – Member (iii) Second in Command or	Not applicable.

completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith the juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2** : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding scale of pay and grade pay extended based on the recommendations of the commission.	Deputy Commandant- Member. (iv) Assistant Commandant. - Member (v) One member having sufficient knowledge of relevant trade.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(6) Inspector (Armourer).	24* (2013) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service Group 'B' (Non-Gazetted Non-Ministerial) combatant.	Pay Band –2 (Rs. 9300-34800) and Grade Pay of Rs. 4600.	Selection post.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion.

(11)	(12)	(13)
By promotion :- Sub-Inspector (Armourer) with five years regular service in the grade failing which Sub Inspector(Armourer) with three years' service in the grade and twenty years of combined service in the rank of Constable(Armourer) , Head Constable(Armourer) and Sub-Inspector (Armourer) and who ---- (i) has passed pre promotional or promotional course or trade test or any other courses prescribed by the Director General; (ii) is in Medical category "SHAPE-1; and (iii) has good records of service. **Note 1** : Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with the juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2** : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding scale of pay and grade pay extended based on the recommendations of the commission.	The Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- (i) Inspector General of Police – Chairman. (ii) Deputy Inspector General of Police – Member (iii) Commandant – Member (iv) Deputy Commandant.- Member. (v) One member having sufficient knowledge of relevant trade.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(7) Inspector (Motor Transport)	44* (2013) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service Group 'B' (Non-Gazetted Non-Ministerial) combatant.	Pay Band –2 (Rs. 9300-34800) and Grade Pay of Rs. 4600.	Selection post.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion.

(11)	(12)	(13)
By promotion :- Sub-Inspector (Motor Transport or Motor Mechanic) with five years regular service in the grade failing which Sub-Inspector(Motor Transport or Motor Mechanic) with three years of regular service in the grade and twenty years of combined service in the rank of Constable(Fitter or Driver), Head Constable (Fitter or Driver) and Sub-Inspector (Motor Mechanic or Motor Transport) and who ------ (i) has passed pre promotional or promotional course or trade test or any other courses prescribed by the Director General; (ii) is in Medical category "SHAPE-1; and (iii) has good records of service. **Note 1** : Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with the juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2** : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding scale of pay and grade pay extended based on the recommendations of the commission.	The Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- (i) Inspector General of Police – Chairman. (ii) Deputy Inspector General of Police – Member (iii) Commandant – Member (iv) Deputy Commandant - Member (v) One member having sufficient knowledge of relevant trade.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tradesmen cadre (8) Sub-Inspector (Tailor).	38* (2013) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service Group 'B' (Non-Gazetted Non-Ministerial) combatant.	Pay Band –2 (Rs. 9300-34800) and Grade Pay of Rs. 4200.	Selection post.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion.

(11)	(12)	(13)
By promotion :- Head Constable (Tailor) with ten years regular service in the grade failing which Head Constable(Tailor) with five years regular service in the grade and fifteen years of combined service in the rank of Constable(Tailor) and Head Constable (Tailor) and who ------ (i) has passed pre promotional or promotional courses or trade test prescribed by the Director General; (ii) is in Medical category "SHAPE-1; and (iii) has good record of service. **Note 1** : Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade	**The Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-** (i) Deputy Inspector General of Police – Chairman. (ii) Commandant – Member (iii) Second in Command or Deputy Commandant-Member.	Not applicable.

along with the juniors who have already completed such qualifying eligibility service. **Note 2** : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding scale of pay and grade pay extended based on the recommendations of the commission.	(iv) Assistant Commandant – Member. (v) One member having sufficient knowledge of relevant trade.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(9) Sub-Inspector (Brass Band).	18* (2013) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service Group 'B' (Non-Gazetted Non-Ministerial) combatant.	Pay Band –2 (Rs. 9300-34800) and Grade Pay of Rs. 4200.	Selection post.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion.

(11)	(12)	(13)
By promotion :- Head Constable (Brass Band) with ten years regular service in the grade failing which Head Constable(Brass Band) with five years regular service in the grade and fifteen years of combined service in the rank of Constable(Brass Band) and Head Constable (Brass Band) and who ---- (i) has passed pre promotional or promotional course or courses or trade test prescribed by the Director General; (ii) is in Medical category "SHAPE-1; and (iii) has good record of service. **Note 1** : Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with the juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2** : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding scale of pay and grade pay extended based on the recommendations of the commission.	**The Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-** (i) Deputy Inspector General of Police – Chairman. (ii) Commandant – Member (iii) Second in Command or Deputy Commandant-Member. (iv) Assistant Commandant-Member (v) One member having sufficient knowledge of relevant trade.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(10) Sub- Inspector (Pipe Band).	12* (2013) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service Group 'B' (Non-Gazetted Non-Ministerial) combatant.	Pay Band –2 (Rs. 9300-34800) and Grade Pay of Rs 4200.	Selection post.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion.

(11)	(12)	(13)
By promotion : - Head Constable (Pipe Band) with ten years regular service in the grade failing which Head Constable(Pipe Band) with five years regular service in the grade and fifteen years of combined service in the rank of Constable(Pipe Band) and Head Constable (Pipe Band) and who --- (i) has passed pre promotional or promotional courses or trade test prescribed by the Director General; (ii) is in Medical category "SHAPE-1; and (iii) has good record of service. **Note 1** : Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with the juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2** : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding scale of pay and grade pay extended based on the recommendations of the commission.	**The Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-** (i) Deputy Inspector General of Police – Chairman. (ii) Commandant – Member. (iii) Second in Command or Deputy Commandant- Member. (iv) Assistant Commandant. - Member (v) One member having sufficient knowledge of relevant trade.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(11) Inspector (Band)	18* (2013) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service Group 'B' (Non-Gazetted Non-Ministerial) combatant.	Pay Band –2 (Rs. 9300-34800) and Grade Pay of Rs. 4600.	Selection post.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion.

(11)	(12)	(13)
By promotion :- Sub Inspector (Band) with five years regular service in the grade failing which Sub Inspector (Band) with three years regular service in the grade and twenty years of combined service in the rank of Constable, Head Constable and Sub-Inspector (Band) and who ------ (i) has passed pre promotional or promotional courses or trade test prescribed by the Director General; (ii) is in Medical category "SHAPE-1; and (iii) has good record of service. **Note 1** : Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with the juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2** : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding scale of pay and grade pay extended based on the recommendations of the commission.	**The Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-** (i) Inspector General of Police – Chairman. (ii) Deputy Inspector General of Police – Member. (iii) Commandant –Member. (iv) Deputy Commandant – Member. (v) One member having sufficient knowledge of relevant trade.	Not applicable.

[F. No. M.V—1/2011-P/Cell/Estt/CRPF]

SHANTANU, Director (Pers)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054